रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1093] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 8, 2012/ज्येष्ठ 18, 1934
No. 1093] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 8, 2012/JYAISTHA 18, 1934

विधि एवं न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जून, 2012

का.आ. 1313(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

31 मई, 2012

आदेश

श्री प्यारी मोहन महापात्र, संसद् सदस्य (राज्य सभा) की अधिकथित निरर्हता के प्रश्न पर, भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (2) के अधीन, निर्वाचन आयोग की राय मांगने के लिए 27 दिसंबर, 2011 को एक निर्देश किया गया था;

और श्री जार्ज टिरके, ओडिशा विधान सभा सदस्य (जिसे इसमें इसके पश्चात् एक याची के रुप में निर्दिष्ट किया गया है) द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (1) के अधीन, भारत की राष्ट्रपति को तारीख 17 सितंबर, 2011 को प्रस्तुत की गई याचिका पर निर्देश उत्पन्न होने पर, अनुच्छेद 102 के खंड (1) के उपखंड (ङ) के अधीन श्री प्यारी मोहन महापात्र, संसद् सदस्य (राज्य सभा) की अधिकथित निरर्हता का प्रश्न उठाया गया है;

और उक्त याचिका में, याची ने यह अधिकथित किया है कि जून, 2010 में राज्य सभा के द्विवार्षिक निर्वाचन के दौरान, ओडिशा से राज्य सभा में तीन स्थान, जो कि 1 जुलाई, 2010 को रिक्त हो

गए थे, को भरने के लिए, उक्त अधिनियम के अधीन निरर्हता के लिए उन्हें दायी बनाते हुए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123(7) के अर्थान्तर्गत श्री प्यारी मोहन महापात्र, भ्रष्ट आचरण में संलिप्त रह चुके थे । याची ने कथन किया है कि भ्रष्ट आचरण का यह कार्य संसद् का सदस्य होने के लिए निरर्हित करता है;

और निर्वाचन आयोग ने अपनी राय (उपाबद्ध द्वारा) प्रस्तुत की है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8क, उच्च न्यायालय द्वारा किसी निर्वाचन याचिका के विचारण पर, धारा 99 के अधीन किसी आदेश द्वारा किस व्यक्ति को केवल भ्रष्ट आचरण करने के दोषी ठहराए जाने के पश्चात् ही आकर्षित करेगी । निर्वाचन आयोग की राय जो कि सुनिश्चित है कि भ्रष्ट आचरण करने के बारे में किसी अभिकथन को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के भाग 6 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 329(ख) के अधीन केवल उच्च न्यायालय के समक्ष किसी निर्वाचन याचिका के माध्यम से और किसी अन्य प्राधिकरण के समक्ष या किसी अन्य रीति में नहीं, विधि (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 100) के अधीन उठाया जा सकता है । अतः, याची, संविधान के अनुच्छेद 103(1) के अधीन राष्ट्रपति के समक्ष विरोधी पक्षकार संख्या - 1 श्री प्यारी मोहन महापात्र, संसद् सदस्य (राज्य सभा) द्वारा भ्रष्ट आचरण किए जाने के मुद्दे को नहीं उठा सकता है;

और निर्वाचन आयोग की सुविचारित राय है कि याचिका पर विरोधी पक्षकारों द्वारा अभिकथित भ्रष्ट आचरण किए जाने की जांच के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 146 के अधीन इसकी कोई अधिकारिता नहीं है और आगे यह भी राय दी है कि श्री जार्ज टिरके, विधान सभा सदस्य की तारीख 17 सितंबर, 2011 की याचिका, संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (1) के अधीन चलाने योग्य नहीं है;

अतः, अब, मैं प्रतिभा देवीसिंह पाटील, भारत की राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (1) के अधीन मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा यह विनिश्चय करती हूं कि श्री जार्ज टिरके, विधान सभा सदस्य की तारीख 17 सितंबर, 2011 की याचिका चलाने योग्य नहीं है ।

भारत की राष्ट्रपति

[फा. सं. एच. 11026(1)/2012-विधायी-II]

डॉ. संजय सिंह, अपर सचिव

उपाबंध

भारत निर्वाचन आयोग

2011 का निर्देश मामला सं. 9

[संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन भारत की माननीय राष्ट्रपति से निर्देश]

निर्देशः संविधान के अनुच्छेद 102(1)(ङ) के अधीन श्री प्यारी मोहन महापात्र, संसद् सदस्य (राज्य सभा) की अधिकथित निरर्हता ।

श्री जार्ज टिरके, विधान सभा सदस्य ..... याची

बनाम

1. श्री प्यारी मोहन महापात्र, संसद् सदस्य (राज्य सभा)
2. श्री नवीन पटनायक, विधान सभा सदस्य
3. श्री अतानु सब्यसाची, विधान सभा सदस्य
4. श्री पुष्पेन्द्र सिंहदेव, विधान सभा सदस्य
5. श्री ग्रिगोरी मिंज, विधान सभा सदस्य
6. श्री शिवाजी माझी, विधान सभा सदस्य
7. श्री भीमसेन चौधरी, विधान सभा सदस्य
8. श्री रमेश राउत, विधान सभा सदस्य
9. श्री बैशनाबा चरण परिदा, संसद् सदस्य (राज्य सभा) ..... विरोधी पक्षकार

यह भारत के राष्ट्रपति से संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन प्राप्त तारीख 27 दिसंबर, 2011 का निर्देश है जिसमें इस प्रश्न पर निर्वाचन आयोग की राय मांगी गई है क्या श्री प्यारी मोहन महापात्र, आसीन संसद् सदस्य (राज्य सभा), संविधान के अनुच्छेद 102(1)(ङ) के अधीन निरर्हता के अध्यधीन हो गए हैं ।

2. ऊपर उल्लिखित प्रश्न, श्री जार्ज टिरके, ओडिशा विधान सभा सदस्य द्वारा प्रस्तुत की गई तारीख 17 सितंबर, 2011 की याचिका में माननीय राष्ट्रपति के समक्ष उठाया गया था । याचिका में याची ने, अन्य बातों के साथ-साथ, अभिकथन किया है कि जून, 2010 में आयोजित राज्य सभा के द्विवार्षिक निर्वाचन के दौरान ओडिशा राज्य से राज्य सभा में तीन स्थानों को भरने के लिए, जो कि

1 जुलाई, 2010 को रिक्त हो गए थे, श्री प्यारी मोहन महापात्र (याचिका में विरोधी पक्षकार सं. 1) उन निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों में से एक थे जिन्हें बीजू जनता दल (बीजेडी) पार्टी द्वारा मैदान में उतारा गया था और वह भ्रष्ट आचरण में संलिप्त रह चुके थे ।

याची के अनुसार, बीजेडी, सभा में अपने सदस्यों की आंकड़ा पदसंख्या के आधार पर केवल दो स्थानों को जीतने के लिए हकदार थी किंतु उन्होंने श्री प्यारी मोहन महापात्र सहित तीन अभ्यर्थियों को पेश किया था । बीजेडी ने या तो इसके तीसरे अभ्यर्थी के लिए मतदान करने के लिए अवैध रूप से कुछ निर्वाचकों (अन्य दलों के विधान सभा सदस्य) को अवैध रूप से उत्प्रेरित करके या उक्त निर्वाचन में मतदान से प्रविरत रह कर सभी तीन स्थानों को जीतने का प्रबंध किया था । यह अभिकथन किया गया है कि विरोधी पक्षकार से 1 से 4 द्वारा विरोधी पक्षकार सं. 5 से 8 को वित्तीय सहायता, आदि के माध्यम से अवैध रूप से उत्प्रेरित किया गया था और उसके द्वारा उक्त अधिनियम के अधीन निरर्हता के लिए वे दायी बनते हुए उन लोगों ने, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123(7) के अर्थांतर्गत भ्रष्ट आचरण किया था । याची ने कथन किया है कि भ्रष्ट आचरण का यह कार्य संसद् सदस्य होने से निरर्हित करता है ।

3. आयोग ने याचिका का परिशीलन किया है । आयोग का सुविचारित दृष्टिकोण यह है कि याचिका पूर्ण रूप से गलत समझी गई है । याचिका में आग्रह किया गया आधार यह है कि विरोधी पक्षकारों ने भ्रष्ट आचरण किया है और इस आधार पर तर्कपूर्वक कहा है कि विरोधी पक्षकार सं. 1, श्री प्यारी मोहन महापात्र, संसद् सदस्य (राज्य सभा) ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (संक्षिप्त में '1951-अधिनियम') की धारा 123(7) और धारा 8क के साथ् पठित संविधान के अनुच्छेद 102(1)(ङ) के अधीन निरर्हता उपगत की है । निर्देश की सुविधा के लिए उक्त धारा 8क नीचे पुनः प्रस्तुत है :-

"**8क. भ्रष्ट आचरण के लिए निरर्हता.**—(1) धारा 99 के अधीन किसी आदेश द्वारा भ्रष्ट आचरण के दोषी ठहराए गए प्रत्येक व्यक्ति का मामला, उस आदेश के प्रभावशील होने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, ऐसे प्राधिकारी द्वारा, जिसे केन्द्रीय सरकार उस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, इस प्रश्न का अवधारण करने के लिए राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाएगा कि क्या ऐसा व्यक्ति निरर्हित किया जाए और यदि किया जाए तो कितनी कालावधि के लिए :

परन्तु वह कालावधि जिसके लिए कोई व्यक्ति इस उपधारा के अधीन निरर्हित किया जा सकेगा, किसी भी दशा में उस तारीख से छह वर्ष से अधिक नहीं होगी जिसको धारा 99 के अधीन उसके संबंध में किया गया आदेश प्रभावशील होता है ।

(2) कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम की धारा 8क के अधीन, जैसी कि वह निर्वाचन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 (1975 का 40) के आरम्भ के ठीक पहले थी, निरर्हित हो गया है, यदि ऐसी निरर्हता की कालावधि समाप्त नहीं हो गई है तो, उक्त कालावधि के शेष भाग के लिए ऐसी निरर्हता के हटाए जाने के लिए राष्ट्रपति को अर्जी प्रस्तुत कर सकेगा ।

(3) उपधारा (1) में वर्णित किसी प्रश्न या उपधारा (2) के अधीन प्रस्तुत की गई किसी अर्जी पर विनिश्चय देने से पूर्व राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से किसी ऐसे प्रश्न और अर्जी पर राय लेगा और उस राय के अनुसार कार्य करेगा ।"

4. उपरोक्त धारा 8क को सीधे तौर पर पढ़ने से यह दर्शित होगा कि उक्त धारा के अधीन निरर्हता, किसी निर्वाचन याचिका के विचारण पर उच्च न्यायालय के धारा 99 के अधीन किसी आदेश द्वारा भ्रष्ट आचरण के लिए व्यक्तियों को दोषी पाए जाने के पश्चात् ही लागू होगी । यह सुविचारित है कि भ्रष्ट आचरण किए जाने के बारे में किसी अभिकथन को अधिनियम - 1951 के भाग 6 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 329(ख) के अधीन उच्च न्यायालय के समक्ष फाइल की गई किसी निर्वाचन याचिका के माध्यम से ही विधि (1951 - अधिनियम की धारा 100) के अधीन उठाया जा सकता है और न ही किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष या किसी अन्य रीति में नहीं उठाया जा सकता है । अतः, याची, संविधान के अनुच्छेद 103(1) के अधीन राष्ट्रपति के समक्ष, विरोधी पक्षकार सं. 1 द्वारा भ्रष्ट आचरण करने के मुद्दे को नहीं उठा सकता है । तद्नुसार, निर्वाचन आयोग को, इस याचिका पर विरोधी पक्षकारों द्वारा भ्रष्ट आचरण करने के अभिकथन में जांच के लिए अधिनियम 1951 - की धारा 146 के अधीन कोई अधिकारिता भी प्राप्त नहीं है ।

5. उपरोक्त संवैधानिक और विधिक प्रास्थिति की दृष्टि से, श्री प्यारी मोहन महापात्र की निरर्हता की मांग के लिए संविधान के अनुच्छेद 103(1) के निबंधनों में, भारत की राष्ट्रपति के समक्ष श्री जार्ज टिरके की तारीख 17 सितंबर, 2011 की याचिका चलाने योग्य नहीं है ।

2072 GI/12-2

6. यहां यह भी सम्मिलित करना प्रासंगिक हो सकेगा कि श्री प्यारी मोहन महापात्र और श्री बैसनाबा चरन पांडिया, संसद् सदस्यों की निरर्हता की मांग के लिए, श्री निहार रंजन महानंदा तथा श्री जोगेश कुमार सिंह दोनों विधान सभा सदस्यों द्वारा फाइल किए गए समान मुद्दे उठाने वाली उसी प्रकार की याचिका पर अन्य निर्देश (2011 का निर्देश मामला सं. 7) मौजूद था । उस निर्देश में भी आयोग ने राय दी थी कि याचिका, राष्ट्रपति के समक्ष चलाने योग्य नहीं थी । उक्त निर्देश मामले में अपनी राय में जून, 2010 में आयोजित राज्य सभा के द्विवार्षिक निर्वाचन में, खरीद-फरोख्त और रिश्वत के अभिकथन की कतिपय शिकायतों के बारे में भी आयोग के सामने तथ्य भी लाए गए हैं । आयोग ने तारीख 29 अगस्त, 2011 को ओडिशा के मुख्य सचिव को अंतर्वलित व्यक्तियों के विरुद्ध शिकायतों पर अन्वेषण करने के लिए एफआईआर को फाइल करने के लिए लिखा था । आयोग ने मामले के अन्वेषण में धीमी प्रगति पर अपनी अप्रसन्नता व्यक्त की थी । आयोग आशा करता है कि शिकायतों की गंभीर प्रकृति पर विचार करते समय, अन्वेषण अवश्य आरंभ किया जाना चाहिए तथा बिना किसी और विलंब के इसे पूरा किया जाए, जिससे कि यदि कोई व्यक्ति, स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन को बिगाड़ने के प्रयास करने का दोषी पाया जाता है, तो उन पर शीघ्रतापूर्वक न्याय किया जा सके ।

7. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, भारत की राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 103(2) के अधीन निर्वाचन आयोग को उसकी राय के लिए किए गए निर्देश को उक्त प्रभाव की आयोग की इस राय के साथ वापिस भेजा जाता है कि उक्त याचिका राष्ट्रपति के समक्ष चलाने योग्य नहीं है ।

ह.	ह0/-	ह.
(एच.एस. ब्रह्म)	(एस0 वाई0 कुरैशी)	(वी.एस. संपत)
निर्वाचन आयुक्त	मुख्य निर्वाचन आयुक्त	निर्वाचन आयुक्त

स्थान : नई दिल्ली
तारीख: 24 फरवरी, 2012

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th June, 2012

S.O. 1313(E).—The following Order made by the President is published for general information :—

31 May, 2012

ORDER

Whereas a reference on the 27th December, 2011 was made seeking the opinion of the Election Commission under clause (2) of article 103 of the Constitution of India, on the question of alleged disqualification of Shri Pyari Mohan Mohapatra, Member of Parliament (Rajya Sabha);

And whereas the reference arose on a petition dated the 17th September, 2011 submitted by Shri George Tirkey, Member of Odisha Legislative Assembly (hereinafter referred to as petitioner) to the President of India, under clause (1) of article 103 of the Constitution of India, raising the question of alleged disqualification of Shri Pyari Mohan Mohapatra, Member of Parliament (Rajya Sabha) under sub-clause (e) of clause (1) of article 102;

And whereas in the said petition, the petitioner has alleged that during the biennial election to the Council of States held in June, 2010, to fill up three seats in Rajya Sabha from the Odisha, that were to become vacant on 1st July, 2010, Shri Pyari Mohan Mohapatra had indulged in corrupt practice within the meaning of section 123(7) of the Representation of the People Act, 1951 rendering him liable to disqualification under the said Act. The petitioner has stated that this act of corrupt practice attracts disqualification for being Member of Parliament;

And whereas the Election Commission has tendered its opinion (vide Annexure) that section 8A of the Representation of the People Act, 1951 will attract only after a person has been found guilty of commission of corrupt practice by an order under section 99 on the trial of an election petition by the High Court. The Election Commission is of the opinion that it is well settled that any allegation about the commission of a corrupt practice can be raised under the law (Section 100 of the

Representation of the People Act, 1951) only by way of an election petition before the High Court under article 329 (b) of the Constitution read with Part VI of the Representation of People Act, 1951, and not before any other authority or in any other manner. Therefore, the petitioner cannot raise the issue of commission of a corrupt practice by the opposite party No.1, Shri Pyari Mohan Mohapatra, MP (Rajya Sabha) before the President under article 103(1) of the Constitution;

And whereas the Election Commission is of the considered opinion that it has no jurisdiction under section 146 of the Representation of People Act, 1951 to enquire into the alleged commission of corrupt practice by the opposite parties on the petition and has also further opined that the petition dated 17th September, 2011 of Shri George Tirkey, MLA is not maintainable under clause (1) of the Article 103 of the Constitution;

Now, therefore, I, Pratibha Devisingh Patil, President of India, in exercise of the powers conferred on me under clause (1) of article 103 of the Constitution, do hereby decide that the petition dated 17th September, 2011 of Shri George Tirkey, MLA is not maintainable.

PRESIDENT OF INDIA

[F. No. H-11026(1)/2012-Leg. II]

Dr. SANJAY SINGH, Addl. Secy.

ANNEXURE

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Reference Case Nos. 9 of 2011

[Reference from the Hon'ble President of India under Article 103(2) of the Constitution]

In *re*: Alleged disqualification of Shri Pyari Mohan Mohapatra, Member of Parliament (Rajya Sabha) under Article 102(1)(e) of the Constitution of India

Shri George Tirkey, MLA .....Petitioner

Vs.

1. Shri Pyari Mohan Mohapatra, MP (Rajya Sabha)
2. Shri Naveen Patnaik, MLA
3. Shri Atanu Sabyasachi, MLA
4. Shri Pushpendra Singhdeo, MLA
5. Shri Grigori Minz, MLA

6. Shri Shivaji Majhi, MLA
7. Shri Bhimasen Choudhary, MLA
8. Shri Ramesh Raout, MLA
9. Shri Baishnaba Charan Parida, MP (Rajya Sabha) ....Opposite Parties

OPINION

This is a reference dated 27th December 2011, from the President of India, under Article 103(2) of the Constitution, seeking the Election Commission's opinion on the question whether Shri Pyari Mohan Mohapatra, sitting Member of Parliament (Rajya Sabha), has become subject to disqualification under Article 102(1)(e) of the Constitution.

2. The above question was raised before the Hon'ble President in a petition dated 17th September 2011, submitted by Shri George Tirkey, Member of Odisha Legislative Assembly. In the petition, the petitioner has, *inter alia*, alleged that during the biennial election to the Council of States held in June 2010 to fill up three seats in Rajya Sabha from the State of Odisha, that were to become vacant on 1st July, 2010, Shri Pyari Mohan Mohapatra (Opposite party No.1 in the petition) was one of the contesting candidates fielded by the Biju Janta Dal (BJD) party and he had indulged in corrupt practice. According to the petitioner, the BJD was entitled to win only two seats on the basis of numeric strength of its members in the Assembly, but they put up three candidates, including Sh. Pyarimohan Mohapatra. The BJD managed to win all the three seats by inducing illegally some electors

(MLAs of other parties) either to vote for its third candidate or to abstain from voting at the said election. It is alleged that illegal inducement by way of financial help, etc., was given by opposite parties Nos. 1 to 4 to opposite parties Nos. 5 to 8 and thereby they all committed corrupt practice within the meaning of section 123(7) of the Representation of the People Act, 1951 rendering them liable to disqualification under the said Act. The petitioner has stated that this act of corrupt practice attracts disqualification for being Member of Parliament.

3. The Commission has perused the petition. The Commission is of the considered view that the petition is entirely misconceived. The ground urged in the petition is that the opposite parties have committed a corrupt practice and, it is contended that, on this ground, opposite party No. 1 Sh. Pyari Mohan Mohapatra, Member of Parliament (Rajya Sabha) has incurred disqualification under Article 102(1)(e) of the Constitution read with sections 123(7) and 8A of the Representation of the People Act, 1951 (for short '1951-Act'). For ease of reference, the said section 8A is reproduced below:-

> "8A. Disqualification on ground of corrupt practices.—(1) The case of every person found guilty of a corrupt practice by an order under section 99 shall be submitted, as soon as may be, after such order takes effect, by such authority as the Central Government may specify in this behalf, to the President for determination of the question as to whether such person shall be disqualified and if so, for what period:
>
> Provided that the period for which any person may be disqualified under this sub-section shall in no case exceed six years from the date on which the order made in relation to him under section 99 takes effect.

(2) Any person who stands disqualified under section 8A of this Act as it stood immediately before the commencement of the Election Laws (Amendment) Act, 1975 (40 of 1975), may, if the period of such disqualification has not expired, submit a petition to the President for the removal of such disqualification for the unexpired portion of the said period.

(3) Before giving his decision on any question mentioned in sub-section (1) or on any petition submitted under sub-section (2), the President shall obtain the opinion of the Election Commission on such question or petition and shall act according to such opinion."

4. A plain reading of the above section 8A would show that the disqualification under that Section is attracted only after a person has been found guilty of commission of a corrupt practice by an order under section 99 of the High Court on the trial of an election petition. It is well settled that any allegation about the commission of a corrupt practice can be raised under the law (Section 100 of the 1951-Act) only by means of an election petition before the High Court filed under Article 329(b) of the Constitution read with Part VI of the 1951-Act, and not before any other authority or in any other manner. Therefore, the petitioner cannot raise the issue of commission of a corrupt practice by the opposite party no. 1 before the President under Article 103(1) of the Constitution. Accordingly, the Election Commission has also no jurisdiction under Section 146 of the 1951-Act to enquire into the alleged commission of corrupt practice by the opposite parties on this petition.

5. In view of the above constitutional and legal position, the petition dated 17th September, 2011, of Shri George Tirkey, seeking disqualification of Shri

Pyari Mohan Mohapatra is not maintainable before the President of India in terms of Article 103(1) of the Constitution.

6. It may be pertinent to add here that there was another reference (Reference Case No.7 of 2011) on a similar petition raising the same issues filed by Sh. Nihar Ranjan Mahananda and Sh. Jogesh Kumar Singh, both MLAs, seeking disqualification of Sh. Pyari Mohan Mohapatra and Sh. Baishnaba Charan Parida, MPs. In that reference also, the Commission had tendered the opinion that the petition was not maintainable before the President. In its Opinion in that reference case, the Commission had also brought out the facts about certain complaints of alleged horse trading and bribery at the Rajya Sabha biennial election held in June, 2010. The Commission had written to the Chief Scretary of Odisha on 29th August 2011, to file FIR for investigation on the complaints against the persons involved. The Commission had expressed its unhappiness over the tardy progress in the investigation in the matter. The Commission hopes that considering the serious nature of the complaints, investigation must have been launched and will be completed without any further delay so that if any person is found guilty of attempting to sabotage free and fair election, they can be brought to justice at the earliest.

7. Having regard to the above, the reference made by the President of India to the Election Commission for its opinion under Article 103 (2) is hereby returned with the opinion of the Commission to the above effect that the said petition is not maintainable before the President.

Sd/-	Sd/-	Sd/-
(H. S. Brahma) Election Commissioner	(S. Y. Qurashi) Chief Election Commissioner	(V. S. Sampath) Election Commissioner

Place: New Delhi
Dated: 24th February, 2012

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054